27

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

Website: ard.rajasthan.gov.in
कमांक प. 7(1)प्रसु/सूअप्र/2013

जयपुर, दिनांक 6/12/2013

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत के नागरिक द्वारा वांछित सभी सूचनाएं (जो अधिनियम अनुसार देय हो) निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। आमजन द्वारा चाही जाने वाली सूचनाऐं निर्धारित समय अवधि मे उपलब्ध नहीं होने से प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत होती हैं। प्रथम अपीलों में पारित निर्णय की सुचारू रूप से पालना नहीं होने के परिणाम स्वरूप राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों की संख्या में दिनों दिन बढोतरी हो रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के प्रारम्भिक स्तर पर ही आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी जावे या प्रथम अपील में पारित निर्णयों की पालना सुनिश्चित कर ली जावे तो सूचना आयोग में आवेदक को द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं करनी पड़ेगी।

अतः सभी लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन में चाही गई सूचनाऐं एवं प्रथम अपील में पारित निर्णय अनुसार देय सूचनाऐं निर्धारित समयावधि में आवेदक को उपलब्ध करवाने हेतु अपने अधीन नियुक्त सभी राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित करें साथ ही प्रथम अपील दायर होने पर यथा संभव शीध्रता से उसका निपटारा कर निर्णयों की पालना भी सुनिश्चित करावें।

(सी0एस0 राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. समस्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. पंजीयक, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना डूगंरी,जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
शासन सयुंक्त सचिव 20/11/13

पता— कमरा न0 8304, उत्तरी पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय,जयपुर दूरभाष न0 515322/3635 (आई.पी.), 2385244